

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 03.01.2020

संख्या-1/नियो० निजी-10/2018 श्र०सं०...212.../श्री संजय कुमार सिन्हा, वि०नि०से०,  
उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के अभ्यावेदन, दिनांक 03.7.19 के आलोक  
में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 (ख) (i) तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6190 दिनांक  
27.4.79 में निहित प्रावधान के तहत उन्हें दिनांक 31.12.2019 के प्रभाव से स्वैच्छिक  
सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
म.प्र. 3/1/2020  
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/नियो० निजी-10/2018 श्र०सं०...212.../ पटना, दिनांक- 03.01.2020

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में  
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,  
बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग  
के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/  
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारी/  
अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर,  
(विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

म.प्र. 3/01/2020  
सरकार के उप सचिव।